

सीकर ज़िले में नगरीय विकास का भौगोलिक अध्ययन

कविता, शोधार्थी , भूगोल विभाग , मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय , उदयपुर (राज.)
प्रो. पी. आर. व्यास (सेवानिवृत्त), भूगोल विभाग , मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय , उदयपुर (राज.)

सारांश

किसी भी जिले का अध्ययन करने के लिए उसकी भौगोलिक स्थिति, धरातलीय स्वरूप एवं आकार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जिले की योजना बनाते समय उसकी स्थिति, स्थल और पारिस्थितिक आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है। सीकर जिले के कार्यात्मक भूदृश्य का अध्ययन करने के लिए उसकी भौगोलिक संरचना का अध्ययन निम्न संदर्भों में किया गया है। नगरीय क्षेत्रों का भौतिक विस्तार या उसके क्षेत्रफल, जनसंख्या आदि में अधिक वृद्धि नगरीकरण कहलाता है। यह एक वैश्विक परिवर्तन है। नगरीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व और मानवीय क्रियाकलाप उस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों से अधिक होता है। नगरीय क्षेत्र में आमतौर पर नगरों, कस्बों, या उपनगरीय विस्तारों को सम्मिलित किया जाता है लेकिन इसमें ग्रामीण क्षेत्रों को सम्मिलित नहीं किया जाता। नगरीय क्षेत्र के विस्तार का मापन जनसंख्या घनत्व और अव्यवस्थित फैलाव के विश्लेषण के लिए और नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या के निर्धारण के लिए किया जाता है। शहरीकरण को भारत में 5000 व्यक्तियों की न्यूनतम आबादी को शहरीकरण के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें 75 प्रतिशत पुरुष गैर-कृषि गतिविधियों में शामिल हैं और प्रति वर्ग किमी कम से कम 400 व्यक्तियों का घनत्व हो। इसके अलावा, एक नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत के साथ-साथ एक छावनी बोर्ड वाले सभी सांविधिक कस्बों को "अर्बन" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सीकर शहर में भी लगातार शिक्षा सुविधाओं एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास के कारण नगरीकरण में वृद्धि दर्ज की गई है। यहां नगरीकरण हेतु पर्यटन उद्योग का भी महत्वपूर्ण स्थान है।

मुख्य बिन्दु :- सीकर में नगरीय विकास , शिक्षा , चिकित्सा , नगर नियोजन , मास्टर प्लान , नगरीय विकास की समस्याएँ ।

परिचय :-

आधुनिक युग में नगरीकरण की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में प्रगट हुई है। यहाँ बढ़ते हुए नगरीकरण की प्रवृत्ति आर्थिक विकास तथा औद्योगिक विकास का सूचक है। औद्योगिक विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप किसी क्षेत्र विशेष में उद्योगों की स्थापना के साथ साथ व्यापारिक एवं वाणिज्यिक संस्थाओं का भी विस्तार होता है एवं बाजार का निर्माण होता है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार साधनों के अभाव के कारण बड़ी मात्रा में लोग गाँव से शहरों की ओर प्रस्थान करना शुरू कर देते हैं। भारत में नगरीकरण की गति बहुत अधिक नहीं रही। 1911 में कुल नगरीय जनसंख्या मात्र 11 प्रतिशत थी, जो 1941 में बढ़कर 14 प्रतिशत हो गई। इस प्रकार 30 वर्ष में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि मात्र 3 प्रतिशत रही। 1951-91 के बीच नगरीय जनसंख्या में मात्र 0.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इस प्रकार 1961 में नगरीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या का 18 प्रतिशत हो गई। इस प्रकार 2001 में नगरीय जनसंख्या 27.81 प्रतिशत रही व 2011 में नगरीय जनसंख्या 31.16 प्रतिशत रही। यदि राजस्थान राज्य में नगरीय जनसंख्या का अध्ययन करें तो 1951 में 18.50 प्रतिशत थी व 1971 में 17.63 प्रतिशत रही वही 1991 में 22.88 प्रतिशत रही 2001 में 23.39 प्रतिशत रही। व 2011 में राजस्थान की नगरीय जनसंख्या 24.89 प्रतिशत रही। सीकर जिले में नगरीय जनसंख्या का अध्ययन करें तो 1921 में यहां नगरीय जनसंख्या 21080 थी जो 1951 में बढ़कर 44140, 1991 में 148272 हो गई। वहीं 2001 में यह 185925 व 2011 में बढ़कर 244497 तक पहुंच गई है। शहर के मास्टर प्लान से भी स्पष्ट है कि भविष्य में यहां और भी अधिक नगरीकरण की संभावनाएं मौजूद हैं।

शोध अध्ययन के उद्देश्य


यहां प्रस्तुत अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

1. सीकर शहर में नगरीय विकास का अध्ययन करना।
2. सीकर में नगरीय विकास से उत्पन्न सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों अध्ययन करना।

स्थिति एवं विस्तार :-

सीकर जिला 27° 21' से 28°12' उत्तरी अक्षांश व 74°44' से 75°25' पूर्वी देशान्तर के मध्य व औसत समुद्र तल से 341 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल 7732 वर्ग कि.मी. है। इसके उत्तर में राजस्थान का झुन्झुनूं जिला व हरियाणा का महेन्द्रगढ़ जिला, दक्षिण-पश्चिम में नागौर, पूर्व में जयपुर व जिला व पश्चिम में चुरू व अजमेर जिले हैं। 2011 के जनसंख्या आँकड़ों के अनुसार जिले में कुल जनसंख्या 2677333 है, जिनमें 1374990 (51.35 प्रतिशत) पुरुष एवं 1323443 (48.65 प्रतिशत) महिलाएँ हैं। जिले में लिंगानुपात 1000 पुरुष के पीछे 944 महिलाएँ हैं। सम्पूर्ण जिले में 2043427 (76.32 प्रतिशत) जनसंख्या ग्रामीण एवं 633906 (23.68 प्रतिशत) जनसंख्या नगरों में निवास करती है। जिले की साक्षरता 72.98 प्रतिशत जिसमें पुरुष साक्षरता 86.66 प्रतिशत व महिला साक्षरता 58.76 प्रतिशत है एवं जनसंख्या घनत्व 346 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सम्पूर्ण जिला 6 तहसीलों में बंटा हुआ है जो कि सीकर, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, दांतारामगढ़, श्रीमाधोपुर एवं नीमकाथाना भागों में विभाजित है ।

मानचित्र 1:- अध्ययन क्षेत्र का मानचित्र



प्रशासनिक ढाँचा :-

सीकर जिला प्रशासनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में सीकर जिले में 6 उपखण्ड, 6 तहसीलें, 8 पंचायत समितियाँ तथा 1 नगर परिषद, 15 कस्बे (नगर) स्थापित हैं। सीकर जिले में सीकर, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, श्रीमाधोपुर, दांतारामगढ़ एवं नीमकाथाना उपखण्ड अधिकारी कार्यालय खोले गये हैं। स्थानीय प्रशासन हेतु शहर में नगर परिषद स्थापित किया गया है तथा नीमकाथाना, श्रीमाधोपुर, खण्डेला, लक्ष्मणगढ़, दांतारामगढ़, लोंसल, रीगस व फतेहपुर में नगरपालिकायें कार्यरत हैं। सीकर जिले में 2011 के अनुसार कुल 992 राजस्व गांव हैं। इनके अतिरिक्त जिले में 2 उप तहसीलें, 341 गिरदावरी सर्किल, 262 पटवार सर्किल, 329 ग्राम पंचायतें, 23 पुलिस थाने, 20 पुलिस चौकियाँ तथा 4 कारागृह स्थित हैं । (मानचित्र 2.2)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :-

वर्तमान सीकर जिले में जो क्षेत्र आता है, वह पहले भूतपूर्व जयपुर रियासत का एक भाग था। पुरातात्विक अन्वेषणों के अभाव में इस क्षेत्र का पूर्व एवं आदिम इतिहास लिखा जाना कठिन है, लेकिन सांभर से डीडवाना होती हुई ताल छपर तक जो नमक की रेखा पायी गई है वह किसी विलुप्त समुद्र का परिणाम बताई जाती है और इस क्षेत्र की अति प्राचीन भूगर्भिक स्थिति को बताती है। इस जिले का प्राचीन नाम खण्डेलपुरा मिलता है और खण्डेला कस्बा बहुत ही प्राचीन है। यह शैव व जैन धर्मों का केन्द्र रहा है। खण्डेलवाल जैन व खण्डेलवाल ब्राह्मण नाम इसी से पड़े है। इस जिले में हर्षनाथ पहाड़ी पर प्रतापी चौहानों द्वारा दसवीं शताब्दी में बनाया गया शिव का मंदिर तत्कालीन एवं मूर्ति कला पर बहुत प्रकाश डालता है। सीकर नगर की स्थापना 1687 ई. में हुई मानी जाती है। पुराना नाम वीरभान का बास था। प्रारम्भ में पूरा कस्बा चार मजबूत दीवारों के भीतर बसा था। इसमें सीकर के राव राजा की गढ़ी बनायी गयी। 15 अगस्त 1947 के बाद राजस्थान प्रान्त के पुर्नगठन के समय शेखावाटी क्षेत्र के 90 ठिकानों में से 75 ठिकानें झुन्झुनू जिले में तथा 15 ठिकानें सीकर जिले में रखे गये। वर्तमान वर्ष 2018 में सम्पूर्ण जिला 6 तहसील सीकर, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, नीमकाथाना, श्रीमाधोपुर एवं दांतारामगढ़ में विभाजित है और इसका प्रशासन एक जिलाधीश के अधीन चलता है।

सीकर में नगरीय विकास :-

सीकर.शिक्षा नगरी के तेजी से होते विस्तार पर जल्द नगरीय विकास विभाग की मुहर लगेगी। शहर के 2031 तक के लिए बने मास्टर प्लान दस वर्ष पहले ही रिव्यू होगा। अब शहर के आसपास के 50 गांवों को शामिल करते हुए 2041 के विकास का खाका खींचते हुए नया मास्टर प्लान बनाया जाएगा। इसके सिविक सर्वेक्षण के लिए राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक पूर्व जयपुर को नियुक्त कर दिया गया है। नियुक्ति के आदेश संयुक्त शासन सचिव मनीष गोयल की ओर से जारी किए गए हैं।

नए मास्टर प्लान के हिसाब से दायरा बढ़ना तय है। सीकर, ढाका की ढाणी, सबलपुरा, जगमालपुरा, भैरूपुरा, भादवासी, शिवसिंहपुरा, कटराथल, कुडली, दादली, हरदयालपुरा, समर्थपुरा, नानी, ढाणी नाथवतान, चंदपुरा, ढाणी सालमसिंह, बजाज नगर, देवीपुरा, खीचड़ों का बास, दुला की ढाणी, राधाकिशनपुरा, रामू का बास, गोकुलपुरा, दुजोद, चैनपुरा, पालवास, कंवरपुरा, रामपुरा, संतोषपुरा, पुरा की ढाणी, बालाजी भैरूजी नगर, घोराणा, नला का बालाजी, चारण का बास, देवलानाडा, आसपुरा, बलरामपुरा, भढाढर, चैलासी, झीगर छोटी, किरडोली, शास्त्री नगर, झीगर बड़ी, बाजौर, देवगढ़, हीरामल नगर, मलकेड़ा, हर्ष और पीपल्यानगर को शामिल किया गया है।

शहर के सुनियोजित विकास के लिए सरकार ने पहले वर्ष 2031 तक के लिए मास्टर प्लान तैयार किया था। उस दौरान शहर की भविष्य में चार लाख 31 हजार की आबादी को ध्यान में रखकर बनाया गया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शहर की आबादी 237579 थी। लेकिन शिक्षा नगरी सीकर का विकास तेजी से हुआ है। यहां पर एक लाख से अधिक संख्या में बाहर के विद्यार्थी ही अध्ययन के लिए रह रहे हैं। ऐसे में सरकार का अनुमानित आंकड़ा समय से पहले ही पूरा हो गया। उम्मीद है कि आवासीय और व्यावसायिक भूमि का बढ़ेगा रकबा शहर के मास्टर प्लान का रिव्यू आसपास के 50 गांवों को शामिल करते हुए किया जाएगा। ऐसे में जानकारों का मानना है कि इससे शहरी क्षेत्र की आवासीय और व्यावसायिक भूमि का रकबा बढ़ेगा। इसका प्रमुख कारण यह भी है कि शहर में विकास बेतरतीब तरीके से भी होने लगा है। दो सौ अधिक बहुमंजिला इमारतें नियम विरुद्ध तरीके से खड़ी कर दी गई है। ऐसे में शहर की नवलगढ़ रोड, पिपराली रोड स्थित शहर के घने क्षेत्र में जल निकासी के साथ यातायात की व्यवस्था भी बढ़ गई है।

शिक्षा क्षेत्र का विकास पिपराली रोड और नवलगढ़ रोड पर हुआ है। वहीं मेडिकल कॉलेज व मिनी सचिवालय के निर्माण के चलते शहर की सांवली रोड पर जमीनों के भावों में बेहताशा वृद्धि हुई है। ऐसे में नए मास्टर प्लान में शहर की पेराफेरी क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा। साथ ही यातायात की सघनता को कम करने के लिए सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने के साथ सुविधाओं को बढ़ाने की भी योजना बनाई जाएगी।

ऐसे समझे सीकर के 2031 तक के मास्टर प्लान को

- ★ पुराना शहर: 618 हैक्टेयर
- ★ राधाकिशनपुरा क्षेत्र: 2637 हैक्टेयर
- ★ देवीपुरा क्षेत्र: 3082 हैक्टेयर
- ★ जगमालपुरा रोड: 2710 हैक्टेयर
- ★ सीकर शहर में फिलहाल ऐसे हो रहा जमीन का उपयोग
- ★ नगर परिषद की कुल सीमा: 2257 हैक्टेयर
- ★ विकसित क्षेत्र: 2174 हैक्टेयर
- ★ आवासीय क्षेत्र: 64.40 हैक्टेयर

- ★ व्यावसायिक: 4.51 हैक्टेयर
- ★ औद्योगिक: 1.61 हैक्टेयर
- ★ राजकीय: 1.00 हैक्टेयर
- ★ मनोरंजन: 1.21 हैक्टेयर
- ★ सार्वजनिक: 10.76 हैक्टेयर

नगरीय क्षेत्रों की समस्या –

सीकर शहर में बढ़ती जनसंख्या एवं नगरों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि ने भारत में कई परिवर्तनों को जन्म दिया है। इन परिवर्तनों के कारण कुछ लाभकारी परिणाम सामने आए हैं तो दूसरी ओर नई समस्याओं का भी जन्म हुआ है। जिसका उल्लेख करना इस इकाई ने अत्यंत आवश्यक है। नगरीय संरचना से जनित कुछ समस्याएं निम्न प्रकार हैं:

1. स्वास्थ्य की समस्या (भ्रंसजी च्त्वइसमउ)

सामान्य धारणा यह है कि गांव के लोग नगरीय लोगों की तुलना में स्वस्थ और बलिष्ठ होते हैं। नगरीय लोग दुबले, रूग्ण और जल्द बीमार होने वाले होते हैं। नजरों में स्वच्छ वातावरण का अभाव होता है। मकानों की भीड़-भाड़, वायु प्रदूषण, मिल, फ़ैक्ट्री का धुआं, स्थान की कमी, बंद मकान, रोशनी एवं स्वच्छ हवा का अभाव, गड़गड़ाहट एवं बहरा कर देने वाला शोरगुल, मच्छर, प्रदूषित भोजन एवं जल आदि की अधिकता, विभिन्न प्रकार के चर्म रोग, बदबूदार एवं सीलन भरे कमरे आदि सब मिलकर स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। नगरों में मृत्यु दर गांव की तुलना में अधिक होने का यह सब प्रमुख कारण है। स्वास्थ्य की सुविधा जुटाने के लिए वहां पार्क, बगीचों खेलकूद की सुविधा जुटाई जाती है। डॉ. प्रभु ने अपने मुंबई सर्वेक्षण में यह पाया कि 61p लोगों ने मुंबई में आने के बाद बीमार रहने की शिकायत की है। 30p लोगों ने परिवार जनों की मृत्यु के लिए नगर में आने के बाद लगी बीमारी को उत्तरदाई माना है। कई लोगों ने अपच एवं भूख ना लगने की शिकायत की। नगरीकरण नगरों में मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लोग अनिद्रा तथा अकेलेपन से परेशान रहते हैं।

2. अपराध दर में वृद्धि (पदबतमेंम पद ब्वापउम तंजम) –

गांव की तुलना में नगरों में अपराध अधिक होते हैं। परिवार, धर्म, पड़ोस, रक्त संबंध एवं सामाजिक नियंत्रण में शिथिलता के कारण अपराध बढ़ जाते हैं। नगरों में अपरचितता के कारण भी अपराध के लिए पृष्ठभूमि तैयार होती है। वहां अपराधी गिरोह अपराध में प्रशिक्षण देने का कार्य भी करते हैं। चोरी, डकैती, बैंकों को लूटना, आत्महत्या एवं हत्याएं, लड़कियों का अपहरण, बच्चों का अपहरण, धोखाधड़ी, ठगी आदि की घटनाएं होती रहती हैं जो कि नगरीय सामाजिक व्यवस्था को बहुत ही भयंकर रूप से विचलित करती हैं। समाचार पत्रों में आए दिन इस प्रकार के अपराध की घटनाएं छपते रहते हैं।

3. मनोरंजन की समस्या (चत्वइसमउ वभिदजमतजंपदउमदज)

नगरों में मनोरंजन का व्यापारीकरण पाया जाता है। सिनेमा, टेलीविज़न, खेलकूद, पार्क एवं बगीचों के लिए काफी पैसा खर्च करना होता है। यहां व्यापारिक संस्थाओं द्वारा मनोरंजन कराया जाता है जिससे कमजोर आर्थिक स्थिति वाले अपना मनोरंजन नहीं कर पाते हैं इसके विपरीत गांव में खेलकूद, नृत्य, भजनगायन आदि के माध्यम से लोगों का मनोरंजन सुगमता से होता है।

4. सामाजिक विघटन (वबपंस क्पेवतहंदप्रंजपवद)–

व्यक्तिवादिता के कारण नगरों में सामाजिक नियंत्रण शिथिल हुआ है। वहां परिवार, धर्म, ईश्वर, रक्त संबंधी, हास परिहास संबंधी नियंत्रण के अभाव में समाज विरोधी कार्य अधिक होते हैं। नगरों में नित्य नए नए परिवर्तन होने से परंपराओं एवं रीति रिवाजों से लगाव नहीं होता। नगरों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष देखने को मिलते हैं जो सामाजिक विघटन पैदा करते हैं। गरीबी, भिक्षावृत्ति, तलाक, बाल अपराध और अन्य अपराध नगरीय जीवन की प्रमुख समस्याएं हैं। तोड़फोड़, हड़ताल, नारेबाजी नगरीय जीवन की आम घटना है।

5. आवास की समस्या (त्नेपकमदजपंस च्त्वइसमउ)

नगरों में एक भयंकर समस्या आवासों की है। नगरों में हवा एवं रोशनीदार आवासों का अभाव होता है। नगरों में कम स्थान पर ज्यादा आवास और ज्यादा लोग निवास करते हैं जिनमें हवा एवं रोशनीदार मकानों का अभाव होता है। कई लोग सड़क के किनारे झोपड़ियां बनाकर रहते हैं कानपुर जैसे औद्योगिक नगरों में तो एक कमरे में 10 से 15 व्यक्ति रहते हैं। इन आवासों में मूत्रालय अथवा स्नानागार का भी अभाव होता है। नगरों में व्यक्ति इस तरह के स्थानों पर रहने के लिए विवश है क्योंकि निर्धनता के कारण लोग अच्छे मकान का किराया नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार के जीवन स्तर और रहन-सहन के कारण नगरीय क्षेत्रों में व्यक्ति कई प्रकार की बीमारियों से घिरे रहते हैं।

6. भिक्षावृत्ति (ठमहंतल)

नगरों में भिक्षावृत्ति अधिक है। सड़क के किनारे, मंदिर, मस्जिद एवं धार्मिक स्थानों के पास, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड स्थानों पर इनकी लंबी चौड़ी भीड़ देखी जा सकती हैं। भिक्षावृत्ति नगरों में व्याप्त निर्धनता का सूचक है तथा यह अपराध का भी द्योतक है। क्योंकि आजकल महानगरों में यहां व्यवसाय के रूप में संपोषित किया जा रहा है

7. वेश्यावृत्ति (त्तवेजपजनजपवद)

नगरों में वेश्यावृत्ति अधिक पाई जाती है। यहां यौन अपराधों की – अधिकता एवं नैतिक मूल्य में हास के कारण यह एक गंभीर समस्या के रूप में स्थापित हो चुकी है। में वेश्यावृत्ति को चलाने के लिए बड़ी मात्रा में लड़कियों को जबरदस्ती विवश किया जाता है कि वह इस व्यवसाय को करें। इस प्रकार का कृत्य भी गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।

8. बढ़ती जनसंख्या (म्बमे च्वचनसंजपवद) –

नगरों में बढ़ती जनसंख्या ने यातायात, शिक्षा प्रशासन एवं सुरक्षा की समस्या पैदा कर दी है। सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, यातायात एवं सुरक्षा के साधन जुटाना अत्यंत ही कठिन कार्य है।

9. नगरीय सामाजिक संरचना की विषमताओं के कारण वाले लोग विभिन्न प्रकार के मानसिक तनाव एवं संघर्ष के शिकार हो जाते हैं।

निष्कर्ष :-

शहर का विकास तेजी से हुआ है। पहले मास्टर प्लान वर्ष 2031 तक के लिए जारी था। लेकिन विकास को समुचित विस्तार देने के लिए दस वर्ष पहले ही मास्टर प्लान का रिव्यू किया जा रहा है। आसपास के 50 गांवों को शामिल करते हुए नए मास्टर प्लान में विकास का खाका खींचा जाएगा। शिक्षानगरी में लगातार विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। इस वजह से शहर का भी तेजी से विस्तार हुआ है। शहर की अर्थव्यवस्था की डोर भी शिक्षा है। शहरी सीमा का दायरे बढ़ने से विस्तार और तेजी से हो सकेगा। प्रदेश की राजधानी जयपुर के नजदीक होने की वजह से शिक्षानगरी सैटेलाइट सिटी के तौर पर विकसित हो रही है। ऐसे में यहां निवेश की भी राहें लगातार खुल रही है।

संदर्भ सूची :-

1. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 'सुजस वार्षिकांक राजस्थान सरकार, 2015.
2. सीकर का मास्टर प्लान 2031
3. गजेटियर, सीकर, पृ.सं. 4-5.
4. वही, पृ.सं. 5.
5. वही, पृ.सं.6.
6. वही, पृ.सं.9.
7. वही, पृ.सं. 18-19.
8. वही, पृ.सं. 14-15.